**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 221**

**01 दिसंबर, 2015 को उत्तर के लिए**

**एक रैंक एक पेंशन संबंधी अधिसूचना का विरोध**

**221. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)सरकार द्वारा एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के संबंध में जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सभी सेवानिवृत्त सैनिकों ने इस अधिसूचना का विरोध किया है और अपने-अपने पदक वापस कर दिए हैं;

(ग) सेवानिवृत्त सैनिकों/सेवानिवृत्त सैनिक संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक मांग और सरकार द्वारा स्वीकार की गयी प्रत्येक मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई विवादास्पद मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मांगों को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) स्वीकार नहीं की गई मांगों को स्वीकार करने में क्या-क्या बाधाएं हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)**

(क) : सरकार ने रक्षा सेना कार्मिकों हेतु एक रैंक एक पेंशन(ओआरओपी) के कार्यान्वयन के लिए रक्षा मंत्रालय के दिनांक 07.11.2015 के पत्र सं. 12(01)/2014/रक्षा(पेंशन/नीति)-भाग-II आदेश जारी किया है । ओआरओपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण कैलेण्डर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तियों की पेंशन के आधार पर किया जाएगा और लाभ 1.7.2014 से प्रभावी होंगे ।
2. सभी पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण उसी रैंक तथा उसी सेवावधि में 2013 में सेवानिवृत्ति कार्मिकों की न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर किया जाएगा ।
3. ऐसे कर्मियों की पेंशन संरक्षित की जाएगी जो औसत से अधिक पेंशन आहरित कर रहे हैं ।
4. बकाया का भुगतान चार समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा । तथापि, विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी परिवार पेंशनभोगियों को बकाया का भुगतान एक किश्त में किया जाएगा ।
5. भविष्य में प्रत्येक पांच वर्ष बाद पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा ।

ऐसे कार्मिक जो सेना नियम, 1954 के नियम 13(3) 1(i) (ख), 13(3) 1(iv) अथवा नियम 16 ख अथवा समकक्ष नौसेना अथवा वायु सेना नियमों के अंतर्गत स्वयं अपने अनुरोध पर सेवामु्क्त होने का विकल्प लेते हैं, वे ओआरओपी के लाभों के हकदार नहीं होंगे । यह भविष्यलक्ष्यी प्रभाव से लागू होगा ।

सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई हो, की जांच के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

(ख) से (च): सरकार द्वारा 1.7.2014 से ओआरओपी के कार्यान्वयन बकायों के भुगतान तथा योजना के अंतर्गत 7.11.2015 तक के पीएमआर मामलों को शामिल किए जाने संबंधी भूतपूर्व सैनिक संघों की मांग को स्वीकार कर लिया गया है । तथापि, कतिपय भूतपूर्व सैनिक संघ पेंशन के निर्धारण हेतु पद्धति, इसके संशोधन की आवर्तिता में बदलावों, भावी पीएमआर मामलों को शामिल किए जाने इत्यादि के लिए मांग कर रहे हैं ।

सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई हो, की जांच के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

**\*\*\*\*\***